

# भारतीय रिज़र्व बैंक

विनियमन विभाग

RESERVE BANK OF INDIA  
DEPARTMENT OF REGULATION



## पंजीकरण प्रमाण पत्र

### CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमा राशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

DOR-00039

No.

In lieu of CoR No. 02.0039.03

dated 28.01.2003 issued by NHB

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
ऑरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड  
(पूर्ववर्ती नाम "ऑरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड") को  
दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमा राशियां स्वीकार किये बिना आवास वित्त संस्था का  
कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

## पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 29A of the

National Housing Bank Act, 1987

**Orange City Housing Finance Private Limited**

(Earlier known as "Orange City Housing Finance Limited")

is hereby granted

### Certificate of Registration

to commence / carry on the business of housing finance institution without accepting  
public deposits subject to the conditions given on the reverse.

में जनवरी दो हजार चौबीस की मुंबई चार तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Mumbai

this Fourth

day of January Two Thousand Twenty-Four



(अशोक के यादव / Ashok K Yadav)

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager



## शर्तें / Conditions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अध्याय V के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Chapter V of the National Housing Bank Act, 1987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. आपकी कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निर्देशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the directions, guidelines/instructions etc. issued by the Reserve Bank of India or the National Housing Bank and as applicable to it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उस के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये:<br><br>“कंपनी के पास राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक _____ का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी/देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।” | 4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under:<br><br>“The company is having a valid Certificate of Registration dated _____ issued by Reserve Bank of India under section 29 A of the National Housing Bank Act, 1987. However, the Reserve Bank of India or the National Housing Bank does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for the repayment of deposits/discharge of liabilities by the company.” |
| 5. आपकी कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने/रखने की अनुमति नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. Your company is not allowed to accept/hold public deposits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. आवास वित्त संस्था के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को अवगत कराया जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. The date when your company has commenced business as a housing finance institution may be advised to Reserve Bank of India and National Housing Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |